पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक– 01.11.2023

दिनांक 31/01.11.2023 को रात्रि थाना आलमबाग 01, मदेयगंज 01, विभूतिखण्ड 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना मोहनलालगंज–दिनांक 01.11.2023 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुमित पुत्र स्व0 भगवानदीन निवासी–भावाखेड़ा, थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि आज दिनांक 01.11.2023 को वादी के पिताजी भगवानदीन पुत्र स्व0 पुनवासी उम्र करीब वर्ष समय करीब 07.00 प्रातः बजे अपनी साइकिल से अपने उक्त घर से यूपीएल फैक्टरी मोहनलालगंज जा रहे थे कि तभी महाराणा कालेज गौरा के सामने पहुंजे ही थे कि पिकअप डाला नं0 यूपी 32 आरएन 7668 के चालक द्वारा पिकअप वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के पिता जी की साइकिल में जोरदार टक्कर मार दिया गया, जिससे वादी के पिताजी गम्भीर रूप से घायल हो गये। वादी के पिताजी को गम्भीर रूप से घायल अवस्था में एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए सीएचसी मोहनलालगज पर ले जाया गया, जहां पर डाक्टरों ने वादी के पिताजी भगवानदीन उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 519/2023 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना सआदतगंज–दिनांक 01.11.2023 को थाना सआदतगंज द्वारा बताया गया कि श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 गंगा प्रसाद श्रीवास्तव निवासी–सौर्य विहार कालोनी सैदपुर जागीर, जानकीपुरम विस्तार लखनऊ ने थाना सआदतगंज पर सूचना दिया कि उसके पुत्र मयंक श्रीवास्तव की पत्नी रोमी श्रीवास्तव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी–एमआईजी, 1/188 टिकैत राय कालोनी एलडीए थाना सआदतगंज लखनऊ ने दिनांक 31/01.11.2023 की रात्रि करीब 02.00 से 03.00 बजे की बीच अपने उक्त आवास पर कमरे की छत में लगे पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अजय चौरसिया मो0न0 7355089576 थाना सआदतगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** मृतका के 01 पुत्र व 01 पुत्री है। मृतका के पति रियल स्टेट का काम करते हैं।

थाना दुबग्गा–दिनांक 001.11.2023 को थाना दुबग्गा द्वारा बताया गया कि श्री रामसेवक पुत्र श्री श्याम रावत निवासी–ग्राम मल्हा थाना दुबग्गा लखनऊ ने थाना दुबग्गा पर सूचना दिया कि आज दिनांक 01.11.2023 को उसके भाई राम कुमार उम्र करीब 28 वर्ष ने अपने उक्त घर पर अपने कमरे की छत में लगे लकड़ी की बल्ली से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राकेश पटेल मो0नं0 7571039165 थाना दुबग्गा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक काफी समय से लीवर की बीमारी से पीडित था। मृतक के दो बच्चे है एवं मृतक डाला चालक था।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक– 01.11.2023

दिनांक 31/01.11.2023 को रात्रि थाना आलमबाग 01, मदेयगंज 01, विभूतिखण्ड 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना मोहनलालगंज–दिनांक 01.11.2023 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुमित पुत्र स्व0 भगवानदीन निवासी–भावाखेड़ा, थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि आज दिनांक 01.11.2023 को वादी के पिताजी भगवानदीन पुत्र स्व0 पुनवासी उम्र करीब वर्ष समय करीब 07.00 प्रातः बजे अपनी साइकिल से अपने उक्त घर से यूपीएल फैक्टरी मोहनलालगंज जा रहे थे कि तभी महाराणा कालेज गौरा के सामने पहुंजे ही थे कि पिकअप डाला नं0 यूपी 32 आरएन 7668 के चालक द्वारा पिकअप वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के पिता जी की साइकिल में जोरदार टक्कर मार दिया गया, जिससे वादी के पिताजी गम्भीर रूप से घायल हो गये। वादी के पिताजी को गम्भीर रूप से घायल अवस्था में एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए सीएचसी मोहनलालगज पर ले जाया गया, जहां पर डाक्टरों ने वादी के पिताजी भगवानदीन उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 519/2023 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना सआदतगंज–दिनांक 01.11.2023 को थाना सआदतगंज द्वारा बताया गया कि श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 गंगा प्रसाद श्रीवास्तव निवासी–सौर्य विहार कालोनी सैदपुर जागीर, जानकीपुरम विस्तार लखनऊ ने थाना सआदतगंज पर सूचना दिया कि उसके पुत्र मयंक श्रीवास्तव की पत्नी रोमी श्रीवास्तव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी–एमआईजी, 1/188 टिकैत राय कालोनी एलडीए थाना सआदतगंज लखनऊ ने दिनांक 31/01.11.2023 की रात्रि करीब 02.00 से 03.00 बजे की बीच अपने उक्त आवास पर कमरे की छत में लगे पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अजय चौरसिया मो0न0 7355089576 थाना सआदतगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** मृतका के 01 पुत्र व 01 पुत्री है। मृतका के पति रियल स्टेट का काम करते हैं।

थाना दुबग्गा–दिनांक 001.11.2023 को थाना दुबग्गा द्वारा बताया गया कि श्री रामसेवक पुत्र श्री श्याम रावत निवासी–ग्राम मल्हा थाना दुबग्गा लखनऊ ने थाना दुबग्गा पर सूचना दिया कि आज दिनांक 01.11.2023 को उसके भाई राम कुमार उम्र करीब 28 वर्ष ने अपने उक्त घर पर अपने कमरे की छत में लगे लकड़ी की बल्ली से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राकेश पटेल मो0नं0 7571039165 थाना दुबग्गा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक काफी समय से लीवर की बीमारी से पीडित था। मृतक के दो बच्चे है एवं मृतक डाला चालक था।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक– 01.11.2023

दिनांक 31/01.11.2023 को रात्रि थाना आलमबाग 01, मदेयगंज 01, विभूतिखण्ड 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना मोहनलालगंज–दिनांक 01.11.2023 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुमित पुत्र स्व0 भगवानदीन निवासी–भावाखेड़ा, थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि आज दिनांक 01.11.2023 को वादी के पिताजी भगवानदीन पुत्र स्व0 पुनवासी उम्र करीब वर्ष समय करीब 07.00 प्रातः बजे अपनी साइकिल से अपने उक्त घर से यूपीएल फैक्टरी मोहनलालगंज जा रहे थे कि तभी महाराणा कालेज गौरा के सामने पहुंजे ही थे कि पिकअप डाला नं0 यूपी 32 आरएन 7668 के चालक द्वारा पिकअप वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के पिता जी की साइकिल में जोरदार टक्कर मार दिया गया, जिससे वादी के पिताजी गम्भीर रूप से घायल हो गये। वादी के पिताजी को गम्भीर रूप से घायल अवस्था में एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए सीएचसी मोहनलालगज पर ले जाया गया, जहां पर डाक्टरों ने वादी के पिताजी भगवानदीन उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 519/2023 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना सआदतगंज–दिनांक 01.11.2023 को थाना सआदतगंज द्वारा बताया गया कि श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 गंगा प्रसाद श्रीवास्तव निवासी–सौर्य विहार कालोनी सैदपुर जागीर, जानकीपुरम विस्तार लखनऊ ने थाना सआदतगंज पर सूचना दिया कि उसके पुत्र मयंक श्रीवास्तव की पत्नी रोमी श्रीवास्तव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी–एमआईजी, 1/188 टिकैत राय कालोनी एलडीए थाना सआदतगंज लखनऊ ने दिनांक 31/01.11.2023 की रात्रि करीब 02.00 से 03.00 बजे की बीच अपने उक्त आवास पर कमरे की छत में लगे पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अजय चौरसिया मो0न0 7355089576 थाना सआदतगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** मृतका के 01 पुत्र व 01 पुत्री है। मृतका के पति रियल स्टेट का काम करते हैं।

थाना दुबग्गा–दिनांक 001.11.2023 को थाना दुबग्गा द्वारा बताया गया कि श्री रामसेवक पुत्र श्री श्याम रावत निवासी–ग्राम मल्हा थाना दुबग्गा लखनऊ ने थाना दुबग्गा पर सूचना दिया कि आज दिनांक 01.11.2023 को उसके भाई राम कुमार उम्र करीब 28 वर्ष ने अपने उक्त घर पर अपने कमरे की छत में लगे लकड़ी की बल्ली से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राकेश पटेल मो0नं0 7571039165 थाना दुबग्गा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक काफी समय से लीवर की बीमारी से पीडित था। मृतक के दो बच्चे है एवं मृतक डाला चालक था।

<u>थाना जानकीपुरम</u>–दिनांक 01.11.2023 को थाना जानकीपुरम द्वारा बताया गया कि वादी श्री दिनेश कश्यप पुत्र स्व0 सन्तराम कश्यप निवासी–1/581 कृष्णानगर शुक्लागंज, जनपद उन्नाव ने थाना जानकीपुरम पर सूचना दिया कि वादी ने अपनी बहन किरन कश्यप की शादी दिनांक 28.11.2021 को हिन्दू रीति रिवाज से अमितेन्द्र कश्यप उर्फ अमित निवासी–गुडियन पुरवा थाना जानकीपुरम लखनऊ के साथ की थी। शादी के कुछ माह तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद वादी की बहन किरन कश्यप उपरोक्त को उसके ससुरालीजनों द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। इसके उपरान्त वादी अपनी हैसियत के हिसाब से वादी की ससुराल वालों की मांग पूरी करते रहते थे। वादी की बहन के ससुराल वालों द्वारा 08 से 10 लाख रूपये की मांग की जा रही थी, जिसको पूरी न कर पाने के कारण वादी की बहन को और अधिक प्रताड़ित करने लगे थे। वादी की बहन की प्रेगनेन्सी के करीब 04 से 05 माह बाद ही वादी की बहन को वादी के घर उसके ससुराल वालों ने भेज दिया। डिलवरी के समय तक ससुराल पक्ष के लोग वादी की बहन को देखने व हालचाल के लिए नहीं आये। जब वादी के बहन के ससुराल वालों को यह पता चला कि बड़े ऑपरेशन से लड़की हुयी है तब से वादी की बहन की सास–राजेश्वरी, ननद–निशा, देवर–मोहित, व उसके पति –अमितेन्द्र कश्यप उर्फ अमित और भी प्रताड़ित करने लगे।दिनांक 31.10.2023 को समय करीब 08.30 बजे से 09.00 के बीच वादी को अमित उपरोक्त द्वारा जरिये दूरभाष सूचना दी गयी कि वादी की बहन किरन कश्यप उपरोक्त की मृत्यु हो गयी है। जबकि दिनांक 31.10.2023 को सायं को ही वादी की बहन की मायके पक्ष में सभी लोगों से मोबाइल से बात हुयी थी और वादी की बहन ने उस समय तक किसी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं बतायी थी। वादी द्वारा लखनऊ में अपने रिश्तेदारों को मौके पर जब भेजा गया तो उनहोंन वीडियो बनाकर यह बताया कि वादी की बहन के ससुरालवालों ने मिलकर उसकी हत्या करके उसके शव को पंखे से रस्सी से लटका दिया है। **इस सूचना पर थाना जानकीपुरम पर मु0अ0सं0 274/2023 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग बनाम–01. सास–राजेश्वरी, 02.ननद–निशा, 03.देवर–मोहित, 04. पति –अमितेन्द्र कश्यप उर्फ अमित के विरूद्ध पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**